

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्रांक- 128 सी.एसी/2014-470 सी.एसी/74
सी.एसी/93


दिनांक 05 सितम्बर, 2014

- 1-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
- 2-समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो)।
- 3-समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)।
- 4-समस्त सम्परीक्षा अधिकारी।
- 5-समस्त सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषय:- निगम की बसों में ले जाये जाने वाले यात्रियों की वैयक्तिक वस्तुओं एवं अतिरिक्त सामान के भाड़े की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

निगम प्रबन्ध द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार निगम की बसों में ले जाये जाने वाले यात्रियों की वैयक्तिक वस्तुओं एवं सामान के भाड़े की दर में वृद्धि करते हुए तत्काल प्रभाव से 84 पैसे प्रतिकिमी० प्रतिकुन्ताल निर्धारित की जाती है।


अतः तत्काल प्रभाव से निगम की बसों में ले जाये जाने वाले यात्रियों की वैयक्तिक वस्तुओं एवं अतिरिक्त सामान के भाड़े की दर उपरोक्तानुसार वसूल करना सुनिश्चित करें।


(मुकेश कुमार मिश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:-समसंख्यक एवं समदिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक/निजी सचिव, मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशा०), परिवहन निगम मुख्यालय।
- 2- मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचा०/प्रावि०), परिवहन निगम मुख्यालय।
- 3- समस्त प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय।
- 4- सम्परीक्षा अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय।


(आलोक कुमार अग्रवाल)
वित्त नियंत्रक